छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड

श्री विष्णु देव साय

माननीय मुख्यमंत्री
छ.ग. शासन

प्रस्तावना :-

छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम है। अन्य पिछड़ा वर्ग जाति विभाग द्वारा संचालित लौह शिल्पकार विकास बोर्ड परम्परागत लौह शिल्प को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी डिजाईन कार्यशाला एवं विपणन गतिविधियों के माध्यम से योजनाएं संचालित की जाएगी। समस्त योजनाओं का मूल उद्देश्य परम्परागत शिल्पियों के उत्पादन में गुणात्मक सुधार लाने के साथ साथ लौह शिल्पों के संरक्षण संवर्धन और उनका समग्र विकास, विस्तार करना है। जिससे नये हितग्राहियों को लौह शिल्प के क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त हो सके ।

लौह शिल्पकारी प्राचीन कला एवं संस्कृति है जो हमारी धरोहर है। लौह शिल्पकारों के समग्र उत्थान एवं विकास के बिना समृद्ध एवं विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।

- प्रफुल्ल विश्वकर्मा
अध्यक्ष
छ. ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड

मान. मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री, छ.ग. सरकार के संरक्षण एवं संवर्धन से लौह शिल्पकारों के समग्र उत्थान हेतु लौह शिल्पकार बोर्ड दृढ़ संकल्पित है।।

लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के मुख्य उद्देश्य :-

1. राज्य में लौह शिल्पकार को योजनाओं के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। लौह शिल्पियों को प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना एवं लौह शिल्पयों को उन्नत औजार उपकरण व अनुदान उपलब्ध कराना।

2. परम्परागत एवं गैर परम्परागत शिल्पियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार की बदलती मांग से अवगत कराने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।

3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के ख्याति प्राप्त लौह शिल्प उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देना।

4. लौह शिल्प के उत्पादन हेतु शिल्पियों को वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाया जाएगा।

लौह शिल्पकारों का पंजीयन :-

लौह शिल्प के क्षेत्र में पंजीयन एक आवश्यक योजना है, पंजीयन के पश्चात लौह शिल्पकार विभागीय योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। साथ ही राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा सकेगा। साथ ही लौह शिल्प से जुडे शिल्पियों का संख्यात्मक जानकारी एवं पंजीयन हेतु आवेदन छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध है आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

1. विभिन्न विकास योजनाओं हेतु अनुदान :-

1. **जॉब वर्क एवं संग्रहण :-** शिल्पियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभिन्न कलात्मक लौह शिल्प सामग्रियों का उत्पादन करवाया जाएगा तथा शिल्पियों द्वारा उत्पादित सामग्रियों को बोर्ड द्वारा क्रय किया जाकर एम्पोरियम के माध्यम से विक्रय किया जाएगा।

2. तकनीकी डिजाईन कार्यशाला एवं मार्गदर्शन :-

बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं मांग के अनुरूप समय पर लौह शिल्प की तकनीकी डिजाईन में परिवर्तन करना आवश्यक है, जिसके लिए लौह शिल्प बाहुल्य क्षेत्रों में तकनीकी डिजाईन एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसमें निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी-

1. कार्यशालाओं व संगोष्ठी का आयोजन कर शिल्पियों को उन्नत तकनीक से अवगत कराने का प्रशिक्षण देना।
2. बाजार उपयोगी नये-नये डिजाईनें बनाने का प्रशिक्षण देना।

प्रशिक्षण योजनाः-

लौह शिल्पकार विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के परम्परागत / गैर परम्परागत शिल्पियों, शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को लौह शिल्प में प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

शासन के योजना के अनुसार प्रशिक्षण स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा। प्रशिक्षण इस स्तर पर होगा कि लौह शिल्पी बाजार में अपने प्रतिद्वन्दियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सके। इस हेतु प्रशिक्षण को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 03 चरणों में आयोजित की जाएगी।

क्र	स्तर	प्रशिक्षण	समयावधि
1.	प्रथम	बुनियादी प्रशिक्षण	07 दिवस से 15 दिवस तक
2.	द्वितीय	उन्नत प्रशिक्षण	10 दिवस से 20 दिवस तक
3.	तृतीय	तकनीकी डिजाइन कार्यशाला	10 दिवस से 20 दिवस तक

उपरोक्त प्रशिक्षण योजनाओं में राज्य शासन से प्राप्त बजट एवं विभागीय मापदंडो के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों का लौह शिल्प के प्रशिक्षण के दौरान अनुदान (छात्रवृत्ति) व कच्चा माल प्रदाय किया जाएगा।

औजार उपकरण / कर्मशाला अनुदानः-

परम्परागत एवं प्रशिक्षित लौह शिल्पकारों को स्व-रोजगार हेतु औजार उपकरण अनुदान एवं कर्मशाला शेड निर्माण अनुदान, अनुसूचित जनजाति/अनूसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के शिल्पकारों को अनुदान योजना सुविधा प्रदान की जाएगी।

लौह शिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार :-

लौह शिल्प की उच्च गुणवत्ता बनाये रखने हेतु "राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रतियोगिता" का आयोजन किया जावेगा, जिसमें चयनित लौह शिल्प के निर्माणकर्ता शिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

विपणन सहायता :-

1. **प्रदर्शनियों के माध्यम से विक्रय :-**

प्रदर्शनी के माध्यम से शिल्पियों को बाजार मांग लोकप्रिय डिजाईनों की जानकारी तथा उचित मूल्य का ज्ञान कराने के उददेश्य से शिल्प प्रदर्शनी एवं शिल्प बाजारों में अपना उत्पाद सीधे ग्राहकों को विक्रय करने हेतु आमंत्रित किया जाता है शिल्पियों को बोर्ड के प्रावधान के अनुसार यात्रा व्यय एवं निःशुल्क स्टॉल प्रदान कराई जाएगी।

2. **एम्पोरियम के माध्यम से विक्रय :-**

प्रदेश के लौह शिल्पियों के द्वारा उत्पादित लौह शिल्प सामग्रियों को संग्रहण के माध्यम से क्रय कर लौह शिल्प सामग्री का विक्रय एम्पोरियम के माध्यम से कराये जाने की योजना है।

हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे

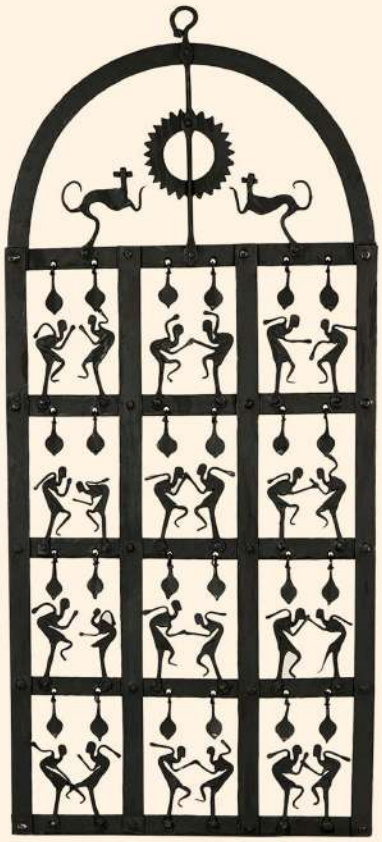

कार्यालय

छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड

आर. डी. ए. कॉम्प्लेक्स, ब्लाक-डी एवं एफ,
तृतीय तल शास्त्री चौक के पास, G.E, रायपुर (छ.ग.)

माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के संरक्षण एवं संवर्धन से लौह शिल्पकारों के समग्र उत्थान हेतु लौह शिल्पकार विकास बोर्ड दृढ़ संकल्पित हैं।

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री
छ.ग. शासन

छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड
लौह कला, लोक विकास

श्री श्याम बिहारी जयसवाल
माननीय मंत्री
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, छ.ग. शासन

श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा
अध्यक्ष
लौह शिल्पकार विकास बोर्ड छ.ग. शासन